अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/77 अपील मूलचंद V/s सोहनलाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R 2, 4, 8, 13 ...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/77 श्री हेमराज एडवोकेट श्री अप्रार्थी 1, 3, 5, 6, 9 से 12 तक	

मूलचंद बनाम सोहनलाल व अन्य

11.7.22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने निवदेन किया कि प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन आवश्यक प्रवृत्ति का होने से सुनवाई कि जावे। अभिभाषक के निवेदन पर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 22.07.2022 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

22.7.22 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 11.07.2022को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र बाबत् कथन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01, 03, 5, 6, 9 से 12 बाद तामील अनुपस्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 02, 04, 08 व 13 की कायममुकाम की कार्यवाही हेतु प्रकरण नियत है। उक्त मृतक अप्रार्थीगण मूल अपील में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी थी ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 04 (4) जाप्ता दीवानी में अंकित प्रावधानो के तहत् एक पक्षीय रहे मृतक व्यक्तियों के कायम मुकाम किये जाने की आवश्यकता नही है। मूल अपील के स्तर पर भी उक्त मृतक व्यक्तियों की कायम--मुकाम की कार्यवाही की जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि दिनांक 03.02.2021 को अन्य न्यायालय में पैरवी हेतु व्यस्त थे। उसी दौरान माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। जिसकी जानकारी अभिभाषक अपीलांट को नहीं हो सकी जानकारी कर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। उक्त अपील वादग्रस्त भूमि से संबंधित है। वाद भूमि अचल सम्पत्ति है इसलिए उक्त अपील को गुणावगुण (मेरिट) पर निर्णित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत हैअतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अपील को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश देना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्टोरेंशन में जो विलम्ब के कारण अंकित किये है जो संतोषजनक होने के कारण प्रार्थना पत्र न्यायहित में 200/—रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को 200/— रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है।**

तत्पश्चात रेस्टोरेशन का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को इन निर्देशो के साथ स्वीकार किया जाना उचित समझते है कि प्रार्थी/अपीलांट उक्त मृतक पक्षकारान के कायम मुकाम की कार्यवाही मूल अपील में आवश्यक रूप से करें तत्पश्चात अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर